संचिका सं0–10/गै0यो0–02–12/2017......1530(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 19/03/2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में नालन्दा जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, चंडी एवं अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा के भवनों तथा परिसर स्थित अन्य भवनों का जीर्णोद्धार एवं रंग–रोगन तथा स्वच्छता अधिष्ठापन कार्य हेतु कुल रुपये 93,72,100/–(तिरानवें लाख बहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में रेफरल चंडी एवं अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा के भवनों तथा परिसर स्थित अन्य भवनों का जीर्णोद्धार एवं रंग–रोगन तथा स्वच्छता अधिष्ठापन संबंधी कार्य हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–287(भ), दिनांक–09.01.2018 द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, प्राक्कलन के अनुरूप कार्यों की सूची निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	रेफरल अस्पताल, चंडी के पहुँच पथ का मरम्मति एवं परिसर विकास कार्य।	14,83,600/-
2	रेफरल अस्पताल, चंडी स्थित मुख्य भवन का भूतल एवं प्रथम तल का मरम्मति कार्य।	12,47,800/-
3	रेफरल अस्पताल, चंडी स्थित शौचालय, चाहरदीवारी, स्टोर एवं रसोई घर तथा कर्मचारी आवास का मरम्मति कार्य।	11,21,300/-
4	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा में परिसर विकास कार्य के साथ लोकल बालू एवं मिट्टी भराई कार्य एवं परिसर स्थित पार्क के विशेष मरम्मति एवं जीर्णोद्धार।	14,22,000/-
5	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा स्थित गैरेज के ऊपर स्टॉफ आवास एवं डॉ० आवास सं०–2 के छत पर ए.पी.पी. कार्य।	8,33,600/-
6	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा के परिसर में जलजमाव से मुक्त करने हेतु 750 ड्रेन पक्का नाला का निर्माण कार्य।	14,96,400/-
7	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा के परिसर में प्याउ का निर्माण कार्य।	4,78,500/-
8	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा के परिसर में पहुँच पथ तथा मुख्य भवन में ए.पी.पी. कार्य।	12,88,900/-
	Total-	**93,72,100**

उक्त प्राक्कलन के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में नालन्दा जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पताल के भवनों तथा परिसर स्थित अन्य भवनों का जीर्णोद्धार एवं रंग–रोगन तथा स्वच्छता अधिष्ठापन कार्य हेतु कुल रुपये 93,72,100/–(तिरानवें लाख बहत्तर हजार एक सौ रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) यह कार्य भवन निर्माण विभाग के द्वारा कराया जायेगा । कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में स्थानीय स्तर पर निविदा कर करायी जाएगी।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/ एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित कराने की जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी ।

(vi) भवन निर्माण विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग सं0–03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य, उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य भवन, लघु शीर्ष–053–रखरखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0001–शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–03-2059600530001, विषय शीर्ष– (27 02)–अनुरक्षण एवं मरम्मत, अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

(5) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010, 1014/वि0(2) दिनांक–03.02.2011, 1752/वि0(2), दिनांक–01.03.2011 एवं 2837/वि0(2) दिनांक–29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

(6) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेंगे ।

(7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(8) प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/गै0यो0–02–12/2017 के पृष्ठ–3/टि0 पर प्राप्त है ।

(9) राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

(11) संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

19/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 1530 (10) /स्वा0, पटना, दिनांकः– 19/03/2018

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/ जिला पदाधिकारी, नालन्दा/सिविल सर्जन, नालन्दा/उपाधीक्षक, रेफरल अस्पताल, चंडी एवं अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा (नालन्दा)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–10/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव ।